

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/अ-4/रामावि/21306/2017-18

दिनांक- 01-08-2018


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां

विषय- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाडी घट्टा, ग्राम पंचायत बालथूनी, जिला बारां को राजकीय माध्यमिक विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश को निरस्त करने बाबत।

प्रसंग:- राज्य सरकार के आदेश प.11(1)/शिक्षा-1/2015 दिनांक: 05.07.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.4(6) शिक्षा-1/2016 पार्ट दिनांक: 02.04.2018 के सूची क्रमांक: 16 पर अंकितानुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाडी घट्टा, ग्राम पंचायत बालथूनी, जिला बारां को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था, जिसकी पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक : 03.04.2018 के द्वारा (सूची क्रमांक : 15 पर अंकितानुसार) उक्त विद्यालय को रामावि में क्रमोन्नति के आदेश जारी किये गये।

राज्य सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक: प.11(1)/शिक्षा-1/2015 दिनांक: 05.07.2018 के द्वारा पूर्व के आदेश में सूची में क्रम संख्या 16 पर अंकित राउप्रावि गाडी घट्टा, ग्राम पंचायत बालथूनी, जिला बारां जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाडी घट्टा होने के कारण क्रमोन्नति के आदेश तथा इस विद्यालय हेतु नवसृजित एवं समाप्त किये गये पदों की स्वीकृति को निरस्त करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के उक्त आदेश की पालना में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक : 03.04.2018 के द्वारा सूची क्रमांक: 15 पर अंकित राउप्रावि गाडी घट्टा, ग्राम पंचायत बालथूनी, जिला बारां जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाडी घट्टा होने के कारण माध्यमिक स्तर पर की गई क्रमोन्नति के आदेश तथा इस विद्यालय हेतु नवसृजित एवं समाप्त किये गये पदों की स्वीकृति को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।


(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/संरक्षिकी) कार्यालय हाजा।
10. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा
11. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/ संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
12. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राजमावि/2017-18

दिनांक : 01-08-2018

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा-प्रथम/द्वितीय
अलवर/झुन्झुनू/जोधपुर/उदयपुर

विषय: माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 99 की अनुपालना में 06 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 26.07.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु सं. 99 के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश क्रमांक : प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 26.07.2018 की पालना में संलग्न सूची के अनुसार 06 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2018-19 से प्रारंभ होगा।
 2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
 3. इन विद्यालयों में संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित जि०शि०अ० (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से संकाय व संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. - secondarydd@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ताकि तदनुसार संकाय व ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
 4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
 5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।
 6. विद्यालयों के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, IFMS कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
- संलग्न-उपरोक्तानुसार

(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर/चुरू/जोधपुर/उदयपुर
11. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
12. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक प. 4 (6) शिक्षा-1/2016 पार्ट दिनांक 26.07.2018 की पालना में वर्ष 2018-2019 में रामावि से राउमावि में नवक्रमोन्नत 06 विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	सू- डाईस कोड	जिला	विज्ञानसभा का नाम	ब्लाक	ग्राम पंचायत	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम
1	08060912701	ALWAR	BANSOOR	BANSUR	BAS DAYAL	रामावि बास करनावत, बानसूर
2	08061404205	ALWAR	KATHUMAR (SC)	KATHUMAR	TEEKARI	रामावि हुल्याणा, कतूमर
3	08050708102	JHUNJHUNU	NAWALGARH (029)	NAWALGARH	TONK CHHILLERI	रामावि टोंक छीलरी
4	08151701701	JODHPUR	Osian(125)	TINWARI	BINJWADIYA (T)	सेठ मांगीलाल सुखिया देवी राबामावि बिंजवाडिया,
5	08260435801	UDAIPUR	VALLABHA NAGAR (155)	BHINDER	CHARAGDIA	रामावि नीमड़ी
6	08260419407	UDAIPUR	VALLABHA NAGAR (155)	BHINDER	TOOS DANGIYAN	रामावि टूस डांगियान

(उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/रामावि/21306/2017-18

दिनांक : 01-08-2018

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय

अलवर/बाड़मेर/भरतपुर/बून्दी/दौसा/गंगानगर/हनुमानगढ़/

जयपुर/जालौर/झुन्झुनू/करोली/नागौर/राजसमन्द/सीकर

विषय: माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 99 की अनुपालना में 25 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- प0 11(1) शिक्षा-1/2015 जयपुर दिनांक 26.07.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु सं. 99 के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश क्रमांक : प011(1) शिक्षा-1/2015 जयपुर दिनांक : 26.07.2018 की पालना में संलग्न सूची के अनुसार 25 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2018-19 से प्रारंभ होगा ।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करावें।
4. विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग।
11. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/ संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
12. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक प. 11 (1) शिक्षा-1/2015 दिनांक 26.07.2018 की पालना में वर्ष 2018-2019 में राउप्रावि से रामावि में नवक्रमोन्नत 25 विद्यालयों की सूची

क्र.सं	यू-ड्राईस कोड	जिला	विद्यानसमा का नाम	ब्लाक	ग्राम पंचायत	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम
1	08140908701	NAGOUR	NAWA(115)	KUCHAMAN	CHARANAWAS	राउप्रावि मंगलपुरा
2	08061401501	ALWAR	KATHUMAR (SC)	KATHUMAR	SAALWADI	राउप्रावि पीपलखेड़ा
3	08170214101	BARMER	BAITU(136)	BAITU	KOLU	राउप्रावि नरसाली नाडी
4	08171107501	BARMER	BAITU(136)	GIDA	KHARDA BHARAT SINGH	राउप्रावि खारड़ा चारणान
5	08230120701	BUNDI	HINDOLI(184)	HINDOLI	ANANTGANJ	राउप्रावि खटावदा
6	08230119401	BUNDI	HINDOLI(184)	HINDOLI	BADGAON	राउप्रावि सूहरी
7	08110601601	Dausa	DAUSA	LAWAN	BANIYANA	राउप्रावि बूटोली
8	08010527501	GANGANAGAR	Raisinghnagar	VUAYNAGAR	10 SARKARI	राउप्रावि 11 जोईयावाली
9	08020200301	HANUMANGARH	Nohar (010)	NOHAR	DAIDAS	राउप्रावि ढापी लालखा
10	08120713202	JAIPUR	JAMWA RAMGARH(048)	JAMWA RAMGARH	PAPAD	राउप्रावि साउं सीरा
11	08120718301	JAIPUR	JAMWA RAMGARH(048)	JAMWA RAMGARH	PHUTOLAV	राउप्रावि सुरपुरा
12	08120106101	JAIPUR	KOTPUTLI(040)	KOTPUTLI	KESWANA RAJPUT	राउप्रावि मोरदा
13	08180502901	JALOR	SANCHORE(144)	SANCHORE	ACHALPUR	राउप्रावि बापू नगर
14	08050706301	JHUNJHUNU	NAWALGARH (029)	NAWALGARH	BASAWA	राउप्रावि खोजावास
15	08050100301	JHUNJHUNU	JHUNJHUNU (027)	JHUNJHUNU	KASIMPURA	राउप्रावि कायस्थपुरा
16	08050701204	JHUNJHUNU	NAWALGARH (029)	NAWALGARH	MANDASI	राउप्रावि घोड़ीवाड़ा कलां
17	08090516702	KARALI	SAPOTRA(084)	SAPOTRA	DOLATPUR	राउप्रावि नैनिया की गुवाड़ी
18	08250510301	RAJSAMAND	NATHDWARA (176)	KHAMNOR	GAONGUDHA	राउप्रावि सोगड़ी की भागल
19	08250505201	RAJSAMAND	NATHDWARA (176)	KHAMNOR	DHANYALA	राउप्रावि गुडला
20	08250518702	RAJSAMAND	NATHDWARA (176)	KHAMNOR	LALMADRI	राउप्रावि राबचा तलाई
21	08130107102	SIKAR	FATEHPUR (032)	FATEHPUR	BIRANIYA	शहीद ईकबाल अली राउप्रावि मरडादू छोटी
22	08130309302	SIKAR	DHOD (034)	DHOD	PALTHANA	राउप्रावि थौरासी
23	08070118901	BHARATPUR	KAMAN(70)	KAMAN	LEVADA	राउप्रावि करवाड़ी
24	08070105101	BHARATPUR	KAMAN(70)	KAMAN	SATVAS	राउप्रावि बडीपुर
25	08071007403	BHARATPUR	KAMAN(70)	PAHADI	BAMANVADI	राउप्रावि कंचननेर

(उप निदेशक, माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/रामावि/21306/2017-18

दिनांक : 01-08-2018

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा
चुरू


विषय: माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 99 की अनुपालना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठठावता, रतनगढ़, जिला चुरू को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- प0 11(1) शिक्षा-1/2015 जयपुर दिनांक 27.07.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु सं. 99 के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश क्रमांक : प011(1) शिक्षा-1/2015 जयपुर दिनांक : 27.07.2018 की पालना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठठावता, रतनगढ़, जिला चुरू को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2018-19 से प्रारंभ होगा ।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करावें।
4. विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-ड्राईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें ।


(नथमल डिडेल)
अधीनस्थ
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में ।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, चुरू
11. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/ संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
12. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर